20.5.19

पत्रावली प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश हुई, वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की ओर से पूर्व में जवाब व रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। वकील वादीगण को प्रकरण के क्रम में सुना गया। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि ग्राम धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 247 रकबा 0.37 हे0, ख0नं0 277 रकबा 1.80 हे0, ख0नं0 279 रकबा 0.37 हे0, ख0नं0 306 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 317 रकबा 1.33 हे0, ख0नं0 344 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 393 रकबा 1.60 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.54 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित नाम सेवा कुमारी के स्थान पर मुक्ता यादव पुत्री तुलसीराम एवं मनोहर बाई के स्थान पर मोनिका यादव पुत्री तुलसीराम दर्ज किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें।

जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् तहसीलदार दीगोंद से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। जांच रिपोर्ट तहसीलदार दीगोद का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उपस्थित ग्राम वासियान, शपथ पत्र ग्राम पंचायत बनेठिया व आधार कार्ड, पेन कार्ड, फोटो पहचान पत्र अनुसार सेवा कुमारी व मुक्ता यादव तथा मनोहर बाई व मोनिका यादव एक ही व्यक्ति है। प्रतिवादी नं0 2 लगायत 6 की ओर से वकील श्री छीतरलाल गोचर द्वारा इकबालिया जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इकबालिया जवाब दावा स्वीकार कर वादीगण का वाद डिक्री किया जावें।

बाद बहस पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार पर प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम धनवां तहसील दीगोंद जमाबंदी सं0 2072–75 में स्थित ख0नं0 247 रकबा 0.37 हे0, ख0नं0 277 रकबा 1.80 हे0, ख0नं0 279 रकबा 0.37 हे0, ख0नं0 306 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 317 रकबा 1.33 हे0, ख0नं0 344 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 393 रकबा 1.60 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.54 हे0 भूमि में वादनी नं0 1 का नाम सेवाकुमारी पुत्री तुलसीराम तथा वादनी नं0 2 का नाम

मनोहर बाई पुत्री तलसीराम दर्ज चला आ रहा है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य छायाप्रति आधार कार्ड, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र में वादनी नं0 1 का नाम मुक्ता यादव तथा वादनी नं0 2 का नाम मोनिका यादव अंकित है। ग्राम पंचायत बनेठिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2015 के अनुसार सेवा कुमारी पुत्री तुलसीराम जाति अहीर ग्राम पोस्ट धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा की निवासी है, जिसको ससुराल में मुक्ता यादव के नाम जाना जाता है तथा प्रमाण पत्र दिनांक 29.04.2015 के अनुसार मनोहर बाई पुत्री तुलसीराम जाति अहीर ग्राम धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा की रहनें वाली है, जिसको ससुराल में मोनिका यादव के नाम से जाना जाता है। वादीगण की ओर से वादपत्र के समर्थन में स्वयं के एवं विवादित आराजी के सहखातेदार सत्यप्रकाश पुत्र तुलसीराम जाति अहीर आयु 37 वर्ष निवासी धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा तथा हेमराज पुत्र रामकुवार आयु 53 वर्ष जाति अहीर निवासी धनवां तहसील दीगोद के शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादीगण का नाम दुरूस्त किये जानें की सहमति प्रकट की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार दीगोद के अनुसार वादनी नं0 1 का नाम मुक्ता यादव व वादनी नं0 2 का नाम मोनिका यादव होना प्रकट होता है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में भी दुरूस्त किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम धनवां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 247 रकबा 0.37 हे0, ख0नं0 277 रकबा 1.80 हे0, ख0नं0 279 रकबा 0.37 हे0, ख0नं0 306 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 317 रकबा 1.33 हे0, ख0नं0 344 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 393 रकबा 1.60 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.54 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादनी नं0 1 का नाम सेवा कुमारी के स्थान पर मुक्ता यादव उर्फ सेवा कुमारी तथा वादनी नं0 2 का नाम मनोहर बाई के स्थान पर मोनिका यादव उर्फ मनोहर बाई दर्ज किया जावें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 20/05/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. मुक्ता यादव पुत्री तुलसीराम पत्नी चन्दन यादव जाति अहीर निवासी धनवां हाल निवास उम्मेदपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. मोनिका यादव पुत्री तुलसीराम पत्नी रघुवीर जाति अहीर निवासी धनवां हाल निवास गोकुलपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. बद्रीप्रसाद पुत्र तुलसीराम
3. सत्यप्रकाश पुत्र तुलसीराम
4. ओमप्रकाश पुत्र तुलसीराम
5. निर्मला पुत्री तुलसीराम
6. शांतिबाई बेवा तुलसीराम जाति अहीर निवासीगण धनवां तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–128/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ कैलाश चन्द शर्मा आर.ए.एस. बहाजिरी श्री हरिशंकर मेघवाल. मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम धनवां तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 247 रकबा 0.37 हे0, ख0नं0 277 रकबा 1.80 हे0, ख0नं0 279 रकबा 0.37 हे0, ख0नं0 306 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 317 रकबा 1.33 हे0, ख0नं0 344 रकबा 0.93 हे0, ख0नं0 393 रकबा 1.60 हे0 कुल किता 7 रकबा 6.54 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादनी नं0 1 का नाम सेवा कुमारी के स्थान पर मुक्ता यादव उर्फ सेवा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

कुमारी तथा वादनी नं0 2 का नाम मनोहर बाई के स्थान पर मोनिका यादव उर्फ मनोहर बाई दर्ज किया जावें।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 20/05/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्ई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक कलक्टर
दीगोद

Scanned by CamScanner